झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आ॰ सं॰– 8/ज०स०(नि०) राँची – 18–/2013 **राँची, दिनांक –**

आदेश

श्री सुरेश राय, (ID - 2369) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जलपथ प्रमण्डल संख्या– 2 चैनपुर गुमला जल संसाधन विभाग सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या 2166 दिनांक 13.04.2016 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

उक्त विभागीय कार्यवाही में निम्न आरोप थे :–

(i) अपरशंख जलाशय योजना के बायी नहर 0.20 कि०मी० पर L-D साईफन के Hume Pipe लिकेज की मरम्मति के संबंध में उच्चाधिकारियों के द्वारा दिये गये निदेश की अवहेलना करने।

(ii) जलपथ प्रमण्डल संख्या– 1 चैनपुर की 26 तथा जलपथ प्रमण्डल संख्या– 2 चैनपुर की 7 पूर्व के लंबित एकरारनामों के अवशेष कार्य पूर्ण नहीं कराये गये और न ही एकरारनामा को बिखंडित अथवा बंद करने की कार्रवाई की गई।

(iii) संवेदक जय शिव कन्सट्रक्शन प्रा० लि० को अनुचित लाभ पहुँचाना।

उक्त अरोपों पर संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में –

आरोप संख्या–(i) अपरशंख जलाशय योजना के बायी नहर 0.20 कि०मी० पर L-D साईफन के Hume Pipe लिकेज ठिक कराने के गैर तकनीकी एवं अव्यवहारिक प्रयास आरोपी पदाधिकारी द्वारा किये गये, जिससे योजना का क्रियान्वयन सफल नहीं हो सका। स्पष्ट है कि उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेश की अनदेख़ी किये जाने के फलस्वरूप संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी को इस हेतु दोषी माना है। अतएव यह आरोप प्रमाणित माना गया है।

आरोप संख्या–(ii) संचालन पदाधिकारी ने आरोप को अप्रामाणित माना है परन्तु विभागीय समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा एकरारनामा सं०– $4F_2$/2002–03 में मुख्य अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता के आदेश के लगभग एक वर्ष बाद एकरारनामा विखंडित किया गया, जबकि चार एकरारनामा भी मुख्य अभियंता के आदेशोपरान्त बंद नहीं कराया गया। अतएव उच्चाधिकारियों के आदेश पर त्वरित कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण आरोपी पदाधिकारी को आंशिक रूप से दोषी माना गया है।

आरोप संख्या–(iii) संचालन पदाधिकारी द्वारा अप्रमाणित माना गया है परन्तु विभागीय समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी को संवेदक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का निदेश दिये जाने के एक वर्ष वाद संवेदक पर कार्रवाई की गई। यह संवेदक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई में टाल–मटोल एवं विलंब किये जाने को दर्शाता है। अतएव संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए इस आरोप के लिये आरोपी पदाधिकारी को आंशिक रूप से दोषी माना गया ।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सुरेश राय सेवा निवृत कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) की कटौती 05 (पाँच) वर्षो तक किये जाने के दण्ड प्रस्ताव के साथ विभागीय पत्रांक– 3785 दिनांक 30.08.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

श्री राय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभाग स्तर पर की गई एवं पाया गया कि श्री राय द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उनके विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड पर पुर्नविचार किया जा सके। उल्लेखनीय है कि उच्चाधिकारियों के निदेश के बावजूद श्री राय संवेदक के माध्यम से लिकेज को बंद कराने में असफल रहे हैं। उक्त परिपेक्ष्य में श्री राय का द्वितीय कारण पृच्छा अस्वीकार योग्य पाया गया।

अतएव, श्री सुरेश राय सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के द्वितीय कारण पृच्छा में प्रस्तावित दण्ड– **पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) की कटौती 05 (पाँच) वर्षो के लिए** किये जाने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

एतद् द्वारा सरकार के उपर्युक्त आदेश को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (नि०)

ज्ञापांक – 8/ज०स०(नि०) राँची – 18–/2013 **राँची,दिनांक –**

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड, राँची/महालेखाकार (लेखा एवं हक०) बिहार, आर० ब्लॉक वीरचन्द्र पटेल मार्ग पटना 800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (नि०)

राँची,दिनांक –

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना–1/कोषागार पदाधिकरी गुमला (झारखण्ड) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (नि०)

/ज०स०(नि०) राँची – 18–/2013 5387 **राँची,दिनांक –** 18-12-17

प्रतिलिपि – मुख्य अभिंयता जल संसाधन विभाग, जल भवन डोरण्डा, राँची/उप सचिव (प्रबंधन) प्रशाखा–1, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री सुरेश राय, सेवा निवृत कार्यपालक अभियंता, गायत्री सुमित्रा पैलेस, फ्लैट सं०– 401 आशियाना नगर राम नगरी, पोस्ट– आशियाना नगर पटना, बिहार, पिन– 800025/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.12.17

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (नि०)

E:\kanhaiya 2016\J.S. B.M.P singh\Office Order.docx